प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)** की एक उप-योजना, **प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)** पर चर्चा करने के लिये एक बैठक आयोजित बुलाई।

नोट:

- मत्स्य पालन और जलकृषि क्षेत्र, जिसे **"सूर्योदय क्षेत्र" कहा जाता है,** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका सृजित करने और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करने के लिये **मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)** तथा नीली क्रांति जैसी कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- वित्त वर्ष 2022-23 में समुद्री उत्पादों के निर्यात में 26.73% की वृद्धि के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक और **मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा** निर्यातक देश है।
    - रोज़गार की दृष्टि से यह क्षेत्र देश में **28 मिलियन से अधिक** लोगों की आजीविका का आधार है।

//

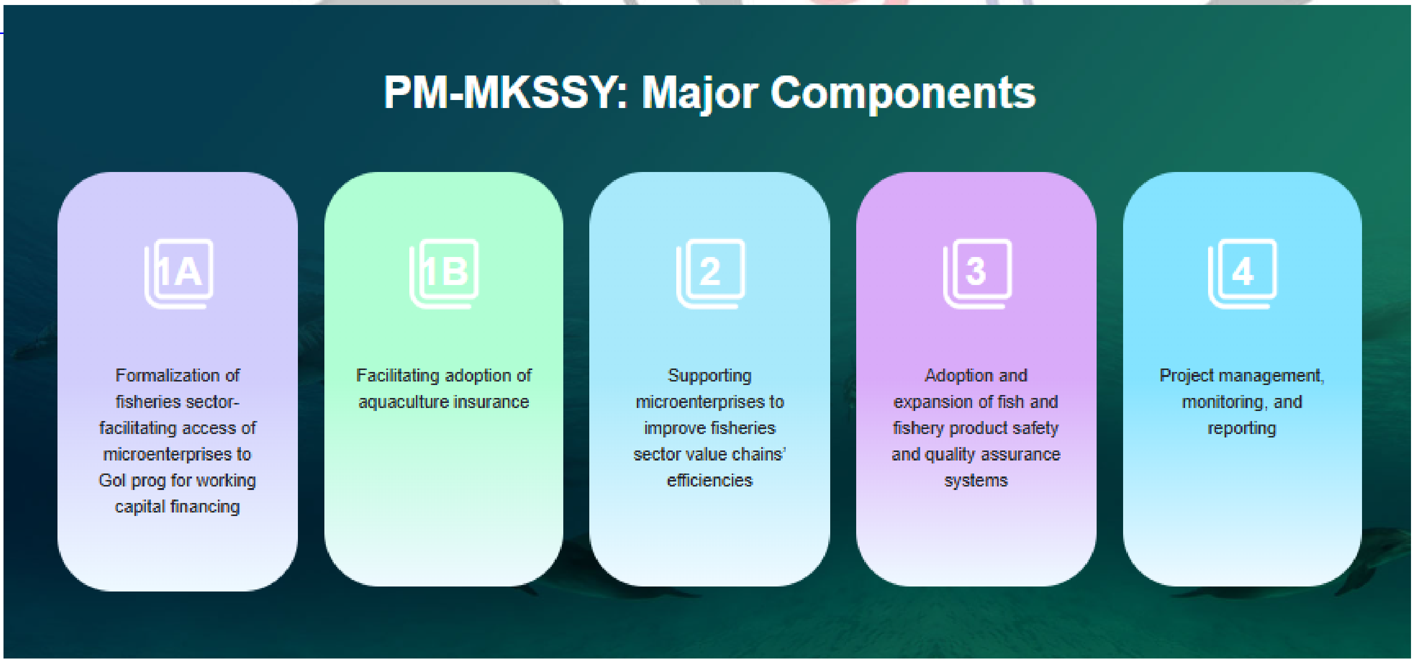

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) क्या है?

परिचय:

- सरकार द्वारा फरवरी 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिये केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना **प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PM-MKSSY) को मंजूरी प्रदान की गई।**

उद्देश्य:

- बेहतर सेवा वितरण के लिये **राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDF)** के तहत कार्य आधारित डिजिटल पहचान के निर्माण द्वारा असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक रूप से औपचारिकीकरण।
- मत्स्यपालकों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये **संस्थागत वित्त तक अधिक पहुँच** की सुविधा प्रदान करना।
- वित्तीय संसाधनों तक पहुँच को सुगम बनाता है, तथा **मत्स्यपालकों** को वित्तपोषण एवं स्थिर विकल्पों के साथ सशक्त बनाता है।
- जलकृषि बीमा के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जोखिमों को कम करना और आपूर्ति शृंखला गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ट्रेसेबिलिटी को शामिल करना।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) क्या है?

परिचय:

- मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम PMMSY का उद्देश्य **नीली क्रांति** के लिये भारत के मत्स्य उद्योग को सतत् और ज़िम्मेदार तरीके से विकसित करना है।
  - यह मछुआरों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए **क्षेत्र के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित** करती है।
- PMMSY को **सभी राज्यों और केंद्रशासित** प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- PMMSY मत्स्य पालन, उत्पादकता, गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचे में अंतराल को को कम कर मछुआरों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण की गारंटी देते हुए मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण करता है।

PMMSY के लक्ष्य:

- **मत्स्य पालन और उत्पादकता:**
  - वर्ष 2018-19 में 13.75 मिलियन मीट्रिक टन से वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर **22 मिलियन मीट्रिक टन करना।**
  - जलकृषि उत्पादकता को वर्तमान राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना।
  - **घरेलू मत्स्य खपत को** प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम करना।
- **आर्थिक मूल्य संवर्द्धन:**
  - कृषि **सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA)** में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 के 7.28% से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक लगभग **9%** करना।
  - निर्यात आय को वर्ष 2018-19 के 46,589 करोड़ रुपए से दोगुना करके वर्ष 2024-25 तक 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाना।
  - मत्स्य पालन क्षेत्र में **निजी निवेश और उद्यमशीलता के विकास** को सुविधाजनक बनाना।
  - फसल-उपरांत होने वाली हानि को 20-25% से घटाकर लगभग 10% करना।
- **आय और रोज़गार सृजन में वृद्धि:**
  - मूल्य शृंखला में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
  - मछुआरों एवं मत्स्यपालकों की **आय दोगुनी** करना।

और पढ़ें...

[महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-matsya-kisan-samridhi-sah-yojana-1